न्यायालय सहायक कलक्टर (प्र0श्रे0) / उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद ।

वाद संख्या– 20/09-10

मौजा– मुहम्मदपुर सराय जावई

शिवानन्द आनन्द माधव महाविद्यालय द्वारा
पार्थ यादव पुत्र संजीव कुमार यादव बनाम

उ0प्र0 सरकार

धारा– 143 उ0प्र0ज0 एवं भू0व्य0अधि0

निर्णय

आवेदक पार्थ यादव पुत्र श्री संजीव कुमार यादव सचिव शिवानन्द आनन्द माधव महाविद्यालय मुहम्मदपुर सराय जावई निवासी 394 शम्भूनगर शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2010 प्रस्तुत कर कहा गया है, कि प्रार्थी मौजा मुहम्मदपुर सराय जावई स्थित, भूमि गाटा संख्या–30मि0 रकबा 0.630है0 लगानी 26.30रू0 सालाना भूमि का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। उक्त भूमि मौके पर परती के रूप में खाली पडी हुई है। कथित गाटे पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, एवं वागवानी कुक्कुट पालन आदि नहीं हो रहा है। आवेदक द्वारा अतः ये उक्त उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा– 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, शिकोहाबाद से आख्या मंगाई गई।

तहसीलदार, शिकोहाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.04.10 प्रस्तुत कर कहा गया है, कि ग्राम मुहम्मदपुर सराय जाबई स्थित खतौनी खाता संख्या–65 के गाटा संख्या–30मि0 रकबा 0.630है0 लगानी 26.30रू0 सालाना भूमि अभिलेखों में शिवानन्द आनन्द माधव महाविद्यालय द्वारा सचिव पार्थ यादव पुत्र संजीव कुमार निवासी 394 शम्भूनगर शिकोहाबाद के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर परती के रूप में खाली पडी हुई है। उपरोक्त गाटे शमशान, कब्रिस्तान, मत्स्य पालन, बागवानी के प्रयोग मे नही आते है। स्कूल निर्माण के प्रयोग मे लाया जा रहा है। तहसीलदार, शिकोहाबाद द्वारा अपनी आख्या में ग्राम मुहम्मदपुर सराय जावई स्थित खतौनी खाता संख्या–65 के गाटा संख्या–30मि0 रकबा 0.630है0 लगानी 26.30रू0 सालाना को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत कृषि कार्य से इतर लगानमुक्त कर अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

आदेश

अतः तहसीलदार, शिकोहाबाद द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 28.04.10 के आधार पर मौजा मुहम्मदपुर सराय जाबई परगना व तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद स्थित खतौनी खाता संख्या–65 के गाटा संख्या–30मि0 रकबा 0.630है0 लगानी 26.30रू0 सालाना को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत कृषि कार्य से इतर, लगानमुक्त कर अकृषिक/आबादी घोषित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार/उपनिबन्धक शिकोहाबाद को अनुपालनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक– 03.05.2010

3-5-10

(अगरपाल सिंह)
सहायक कलक्टर (प्र0श्रे0) / उपजिलाधिकारी,
शिकोहाबाद ।

13/7/10

NOTARY
Shashi Vir Singh
Advocate
Distt.–Firozabad
Regd. No.
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
SHIKOHABAD

सचिव
एस. ए. एम. डिग्री कालेज
एन.एच.-2, बाईपास रोड, शिकोहाबाद

सचिव
शिवानन्द आनन्द माधव महाविद्यालय
NH-2, बाईपास रोड, शिकोहाबाद (फिरो0)